BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

कृषि में महिला किसानों को सशक्त बनाना

नीतियाँ, नवाचार और संस्थागत समर्थन

23 मार्च, 2026

मुख्य बिंदु

- **भारत महिला किसानों को वित्तीय** समर्थन, सस्ता ऋण, बेहतर अवसंरचना, उन्नत प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और कौशल विकास को कवर करने वाली एकीकृत योजनाओं के ढांचे के माध्यम से सशक्त बनाता है।
- 2025–26 में (28.02.26 तक), कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) योजना के तहत **11.61 लाख से अधिक महिला किसानों को प्रशिक्षित और सक्षम बनाया गया।.**
- कृषि अवसंरचना कोष (AIF) और नमो ड्रोन दीदी ने ऋण, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण तक पहुँच का विस्तार किया, जिसमें 8,190 महिला-नेतृत्व वाली परियोजनाओं को 2,377 करोड़ रुपये का समर्थन मिला।
- महिला-नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठन (FPOs) बढ़ रहे हैं, जिसमें 1,175 सभी-महिला FPOs से 23.55 लाख किसानों को लाभ हो रहा है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत, 1.01 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण हुआ।

परिचय

भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली कृषि ने हमेशा खाद्य सुरक्षा, आजीविका और ग्रामीण विकास का समर्थन किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र आजीविका के मुख्य

स्रोत हैं, जिसमें 80% ग्रामीण महिलाएँ संलग्न हैं। इनमें से 33% कृषि मजदूर हैं और 48% स्व-रोजगार वाली किसान हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष (IYWF 2026) घोषित किया है, जो वैश्विक कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है।

महिला किसान कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जहाँ उनकी भागीदारी फसल उत्पादन, पशुपालन, कृषि वानिकी, मत्स्य पालन, बागवानी, कटाई पूर्व क्रियाएँ, कटाई के बाद प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन तक फैली हुई है। परिणामस्वरूप, महिलाओं की संलग्नता कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय है। IYWF 2026 महिलाओं के योगदान को उजागर करने, भूमि, संसाधनों, प्रौद्योगिकी, वित्त और बाजारों तक समान पहुँच को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। यह वर्ष सरकारों, विकास साझेदारों, सिविल सोसाइटी और निजी क्षेत्र को समावेशी नीतियों और लक्षित कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है जो महिला किसानों की दृश्यता, मान्यता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाएँ।

कृषि-खाद्य प्रणालियों में लिंग-समावेशी विकास को बढ़ावा:

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित करने से नीति सुधारों को आगे बढ़ाने, जागरूकता बढ़ाने, वैश्विक सहयोग मजबूत करने और कृषि में महिलाओं का समर्थन करने के लिए संसाधनों को जुटाने का महत्वपूर्ण अवसर मिला है। "प्रगति को गति देना, नई ऊँचाइयों को प्राप्त करना" विषयक वैश्विक महिला कृषि-खाद्य प्रणाली सम्मेलन (GCWAS-2026) भारत की कृषि विकास में महिलाओं को अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नई दिल्ली के ICAR कन्वेंशन सेंटर में 12-14 मार्च 2026 को आयोजित तीन दिवसीय GCWAS-2026 में भारत और विदेश से 700 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें वैज्ञानिक, नीति निर्माता, उद्योग नेता, उद्यमी, महिला किसान, स्टार्ट-अप्स और छात्र थे।सम्मेलन ने लिंग-संवेदनशील नीतियों को मजबूत करने, महिलाओं के नेतृत्व और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने, तथा प्रौद्योगिकी संचालित, जलवायु-स्मार्ट और महिला-अनुकूल कृषि नवाचारों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें महिला किसान मंच, युवा मंच और महिला-उन्मुख प्रौद्योगिकियों तथा स्टार्ट-अप नवाचारों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी भी शामिल थी। कुल मिलाकर,

सम्मेलन ने समावेशी, सतत और समान कृषि-खाद्य प्रणालियों के निर्माण के लिए कार्यान्वयन योग्य सिफारिशें, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का लक्ष्य रखा।

लक्षित योजनाएँ जो कृषि विकास और महिला किसान सशक्तिकरण सुनिश्चित करती हैं

महिला किसान भारत की कृषि प्रगति को गति देने में बढ़ती भूमिका निभा रही हैं। उनकी खेती और संबद्ध गतिविधियों में बढ़ती भागीदारी विभिन्न सरकारी पहलों के माध्यम से मजबूत हो रही है जो संसाधनों, प्रौद्योगिकियों और बाजारों तक उनकी पहुँच बढ़ाती हैं। कृषि अवसंरचना कोष (AIF), एकीकृत कृषि विपणन योजना (ISAM)/कृषि विपणन अवसंरचना (AMI), बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (MIDH), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), तथा संशोधित ब्याज सब्वेंशन योजना (MISS) जैसी योजनाएँ सब्सिडी, ब्याज सब्वेंशन और प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण के माध्यम से महिला किसानों को वित्तीय समर्थन और ऋण पहुँच प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, नामो ड्रोन दीदी कार्यक्रम, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (NBHM), तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) प्रौद्योगिकी अपनाने, कौशल विकास और आजीविका विविधीकरण को बढ़ावा देकर महिलाओं की भागीदारी मजबूत करती हैं। ये पहलें अवसंरचना सुधार, बाजार संपर्क मजबूत करने और कुशल कटाई के बाद प्रबंधन का समर्थन करके कृषि मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाती हैं।

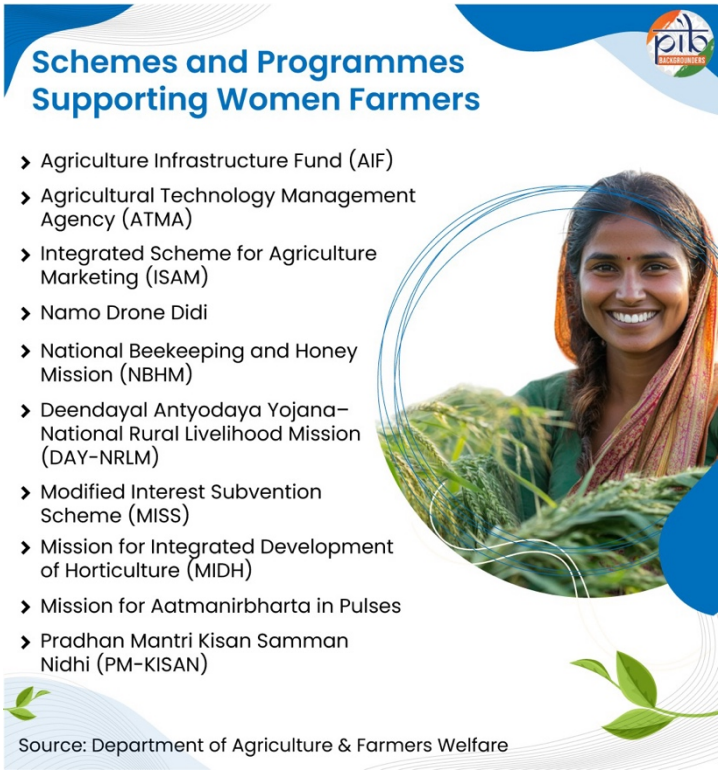

A. कृषि अवसंरचना कोष (AIF)

यह योजना पूरे भारत में कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए शुरू की गई। यह कटाई के बाद प्रबंधन सुविधाओं और उत्पादक फार्म संपत्तियों के विकास के लिए ऋणों पर ब्याज सब्वेंशन और ऋण गारंटी समर्थन के माध्यम से मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान करती है। इसका मुख्य

ध्यान फार्म गेट पर भंडारण और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना बनाने, किसानों को अपनी उपज को ठीक से संग्रहीत करने, कटाई के बाद नुकसान कम करने और बिचौलियों पर निर्भरता सीमित करके बेहतर कीमतें सुनिश्चित करने पर है।

एआईएफ के तहत ऋण कवर करते हैं:

- व्यक्तिगत किसानों और किसान समूहों को, विशेष रूप से महिला किसानों पर जोर देते हुए।
- अधिकतम 9% ब्याज दर
- 2 करोड़ रुपये तक के ऋणों पर 3% प्रति वर्ष ब्याज सब्वेंशन, सात वर्ष तक की अवधि के लिए।

28 फरवरी 2025 तक, योजना के तहत महिला किसानों को 8,190 परियोजनाओं के तहत 2,377 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

B. एकीकृत कृषि विपणन योजना (ISAM)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत कृषि विपणन योजना (ISAM) के तहत कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) योजना लागू की जाती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में कृषि विपणन प्रणालियों को मजबूत करना है, जिसमें गौदामों और वेयरहाउसों के निर्माण और उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। महिला किसान, SC/ST प्रोत्साहक, किसान उत्पादक संगठन (FPOs), तथा उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों के लाभार्थियों को 33.33% सब्सिडी मिलती है। सादे क्षेत्रों के किसानों को 25% सब्सिडी मिलती है।

AMI के तहत भंडारण और अन्य अवसंरचना के लिए महिला लाभार्थियों की प्रगति (1 जनवरी 2026 तक प्रारंभ से):

स्टोरेज बुनियादी ढांचा परियोजना			स्टोरेज परियोजना के अतिरिक्त	
महिला लाभार्थी की संख्या	क्षमता निर्माण (MT)	जारी सब्सिडी (लाख रुपए में)	महिला लाभार्थी की संख्या	जारी सब्सिडी (लाख रुपए में)
10,631	35,953,967.8	1,73,971.41	1095	11,767.67

AMI के तहत कुल 10,631 भंडारण अवसंरचना परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 395.53 लाख MT (35,953,968 मीट्रिक टन) है। 1,73,971.41 लाख रुपये की सब्सिडी जारी की गई है,

और 1,095 गैर-भंडारण अवसंरचना परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। पूरे देश में महिला लाभार्थियों को 11,767.67 लाख रुपये की सब्सिडी जारी की गई है, जो योजना की महिला भागीदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

C. नमो ड्रोन दीदी

नमो ड्रोन दीदी योजना एक केंद्रीय क्षेत्र पहल है जो 2023-24 से 2025-26 तक 15,000 ड्रोन महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को प्रदान करेगी, कुल 1,261 करोड़ रुपये के आउटले के साथ। यह आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देती है, दक्षता बढ़ाती है, और SHGs को ड्रोन-आधारित सेवाएँ प्रदान करके महिलाओं की आजीविका मजबूत करती है। चयनित SHGs को ड्रोन पैकेज पर 80% केंद्रीय वित्तीय सहायता (8 लाख रुपये तक) मिलती है, साथ ही ड्रोन पायलट के लिए 15 दिनों का प्रशिक्षण और ड्रोन सहायक के लिए 5 दिनों का प्रशिक्षण। 2023-24 में 22 राज्यों में 1,094 ड्रोन वितरित किए गए, जिनमें से 500 योजना के तहत दिए गए, जो प्रौद्योगिकी अपनाने और आधुनिक कृषि प्रथाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का मजबूत समर्थन दर्शाते हैं।

नामो ड्रोन दीदी के अतिरिक्त, कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM) उद्यमिता का समर्थन करता है, जिसमें कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHCs) स्थापित करने में सहायता और छोटे, सीमांत, SC/ST, उत्तर-पूर्वी तथा महिला किसानों को ड्रोन खरीद के लिए 50% सहायता (5 लाख रुपये तक) प्रदान की जाती है।

D. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (NBHM)

NBHM सरकारी द्वारा शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र योजना है जो वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देती है और गुणवत्ता वाले शहद तथा अन्य मधुकोश उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाती है। योजना मधुमक्खी पालन क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देती है, आय सृजन, रोजगार अवसरों और फार्म तथा गैर-फार्म घरों के लिए आजीविका समर्थन को मजबूत करती है, जिसमें महिला किसान शामिल हैं। NBHM जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर जोर देती है, जिसमें महिलाओं को मधुमक्खी पालन गतिविधियों में प्रशिक्षण और समर्थन के माध्यम से सशक्त बनाना शामिल है।

E. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)

यह प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पूरी तरह से महिलाओं के माध्यम से लागू किया जाता है, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उन्हें सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है। यह ग्रामीण गरीबी को कम करता है, गरीब घरों विशेष रूप से महिलाओं को स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी अवसर प्रदान करके सतत, विविधीकृत

आजीविकाएँ सृजित करता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत एक प्रमुख मील का पत्थर औपचारिक वित्तीय संस्थानों के माध्यम से महिला SHGs को 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरण है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच, 2.58 करोड़ महिला किसानों को एग्रो-इकोलॉजी और पशुपालन प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया गया, 2.50 लाख सामुदायिक संसाधन व्यक्ति जैसे पशु सखियाँ प्रशिक्षित की गईं, 503 कृषि सखियाँ ड्रोन सखी के रूप में प्रशिक्षित की गईं, 70,021 SHG महिलाओं को प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षण दिया गया, तथा FPO योजना के तहत 800 महिला-नेतृत्व वाली उत्पादक कंपनियाँ प्रोत्साहित की गईं।

F. संशोधित ब्याज सब्वेंशन योजना (MISS)

संशोधित ब्याज सब्वेंशन योजना (MISS) एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जो किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से किसानों को सस्ती दरों पर अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराती है। KCC किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर अल्पकालिक ऋण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। योजना के तहत किसान 3 लाख रुपये तक का ऋण 7% ब्याज दर पर ले सकते हैं, जिसमें उधार संस्थानों को 1.5% ब्याज सब्वेंशन मिलता है। विशेष रूप से महिला किसानों के लिए पहुँच बढ़ाने हेतु, बैंकों, राज्य और केंद्र सरकारों, आरबीआई, नाबार्ड तथा किसान ऋण पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा, 1 जनवरी 2025 से प्रभावी, गारंटी-मुक्त ऋण सीमा 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है।

G. बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (MIDH)

बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (MIDH), 2014-15 से लागू केंद्रीय प्रायोजित योजना, फल, सब्जियाँ, मसाले, फूल, बागान फसलें आदि सहित भारत के बागवानी क्षेत्र के व्यापक विकास का समर्थन करती है। योजनाओं का फंडिंग पैटर्न केंद्र-राज्य 60:40 तथा उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 है। MIDH किसानों सहित महिला किसानों को क्षणभंगुर बागवानी उपज के लिए कटाई के बाद प्रबंधन (PHM) अवसंरचना विकसित करने में सहायता प्रदान करती है।

H. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

दालहन आत्मनिर्भरता मिशन (दालहन आत्मनिर्भरता मिशन), 2025-26 से 2030-31 तक छह वर्षों के लिए कुल 11,440 करोड़ रुपये के आउटले के साथ, दालों के उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, विशेष

रूप से तूर, उड़द और मसूर पर। मिशन जलवायु-प्रतिरोधी बीजों के उत्पादन और उपलब्धता, दालों की खेती के क्षेत्र विस्तार, तथा कटाई के बाद भंडारण और प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देता है। यह राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (NAFED) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) के माध्यम से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PMAASHA) के तहत तूर, उड़द और मसूर की सुनिश्चित खरीद का समर्थन प्रदान करता है। परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन करने वाले राज्य दाल मिशन के तहत कम से कम 20% फंड महिला किसानों को आवंटित सुनिश्चित करते हैं।

I. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

सभी भूमिधारक किसान परिवारों को वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए सरकार ने 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की। इस पहल के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये, तीन समान किश्तों में 2,000 रुपये की प्राप्ति होती है। किसान PM-किसान पोर्टल, मोबाइल ऐप और CSC के माध्यम से स्व-पंजीकरण कर सकते हैं, तथा उनकी भूमि रिकॉर्ड डिजिटल सत्यापित किए जाते हैं। वित्तीय सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से किसान के आधार-सीडेड बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है, जो पारदर्शिता, दक्षता और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करती है।

विश्व की सबसे बड़ी DBT कार्यक्रमों में से एक PM-KISAN ने किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय समर्थन प्रदान करके महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। उल्लेखनीय रूप से, कुल लाभों का लगभग 25% महिला लाभार्थियों को जाता है, जो महिला किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने की सरकारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री-किसान योजना की 22वीं किस्त के दौरान लाभान्वित महिला किसान लाभार्थियों को (दिनांक 17/03/2026 तक) लाभ प्राप्त हुआ।	
महिला लाभार्थियों की संख्या	**हस्तांतरित राशि (करोड़ में)।**
2,15,47,095	**4,309.46**

ध्यान दें कि PM-KISAN योजना के प्रारंभ से अब तक महिला लाभार्थियों को 1.01 लाख करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए गए हैं।

सरकारी योजनाएँ व्यक्तिगत किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, ऋण पहुँच, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।

किसान उत्पादक संगठन (FPOs) स्थापित किए जाते हैं ताकि छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को एकजुट करके व्यक्तिगत रूप से काम करने की चुनौतियों पर काबू पाया जा सके। FPOs व्यक्तिगत-उन्मुख योजनाओं का प्रभाव बढ़ाते हैं, आय स्थिरता और कृषि मूल्य श्रृंखला में अधिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देते हैं।

महिला-नेतृत्व वाली सामूहिकता और किसान उत्पादक संगठन (FPOs)

किसान उत्पादक संगठन (FPO) किसानों का ऐसा समूह है जो संयुक्त रूप से कृषि उत्पादों का उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन करते हैं। FPOs का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, बाजारों तक पहुँच सुधारना और सदस्यों विशेष रूप से महिलाओं को सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया और सहकारी प्रबंधन के माध्यम से उन्नत करना है।

किसान उत्पादक संगठन FPOs भागीदारी के जरिए समावेशिता पर जोर देते हैं:

- **छोटे और सीमांत किसान**
- **महिला किसान**
- **स्वयं सहायता समूह (SHGs)**
- **अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) किसान तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।**

यह समावेशी दृष्टिकोण कृषि समुदाय के सभी वर्गों की समान विकास और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। किसान सामूहिकता को बढ़ावा देने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार ने 29 फरवरी 2020 को 10,000 FPOs के गठन एवं प्रोत्साहन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की। इन पहलों के लिए कुल बजट आउटले 2027-28 तक 6,865 करोड़ रुपये है। योजना शुरू होने से अब तक 7,041 FPOs को इक्विटी अनुदान के रूप में 481.38 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जबकि 2,761 FPOs (10,000 FPOs और मौजूदा दोनों सहित) को 712.16 करोड़ रुपये का ऋण गारंटी कवर प्रदान किया गया है।

10,000 FPOs योजना के तहत (28 फरवरी 2026 तक):

प्रत्येक FPO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम एक महिला सदस्य है, और महिला-केंद्रित FPOs का मजबूत राष्ट्रीय उपस्थिति है, जिसमें 1,175 FPOs में 100% महिला शेयरधारक हैं और 1,084 FPOs में 50% से 99% महिला सदस्य हैं। ओडिशा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना सभी महिला FPOs की संख्या में अग्रणी राज्य हैं।

कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संस्थागत समर्थन

कृषि में महिलाओं की भागीदारी मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान समर्थन, नीति मार्गदर्शन और क्षेत्र-स्तरीय क्षमता निर्माण प्रदान करने वाले संस्थानों का मजबूत नेटवर्क आवश्यक है। निम्नलिखित संस्थान जैसे:

- हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (MANAGE),
- कृषि में राष्ट्रीय लिंग संसाधन केंद्र (NGRCA),
- भुवनेश्वर में आईसीएआर-केंद्रीय महिला कृषि संस्थान (CIWA), तथा
- फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्था

महिला किसानों को ज्ञान, कौशल और लिंग-संवेदनशील समर्थन प्रणालियों से लैस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

A. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (MANAGE), हैदराबाद

पेशेवरों की क्षमता निर्माण करता है। संस्थान के कृषि में लिंग केंद्र लिंग-समावेशी कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियाँ आयोजित करता है। यह वरिष्ठ और मध्य-स्तरीय विस्तार कर्मियों तथा अन्य हितधारकों के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रमुख प्रशिक्षण क्षेत्रों में लिंग मुख्यधारा, लिंग-संवेदनशील विस्तार सलाहकार सेवाएँ, महिलाओं का उद्यमिता, नेतृत्व कौशल, लिंग-संवेदनशील कृषि मूल्य श्रृंखलाएँ, बाजार पहुँच, वित्तीय साक्षरता, तथा कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल हैं। 2020 से संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों से कुल 61,496 महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं।

B. कृषि में राष्ट्रीय लिंग संसाधन केंद्र (NGRCA:

यह सभी लिंग-केंद्रित पहलों के लिए राष्ट्रीय समन्वयक निकाय है। केंद्र कृषि नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में लिंग विचारों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वकालत, नीति मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से समर्थन प्रदान करता है ताकि लिंग-संवेदनशील कृषि विकास को बढ़ावा मिले।

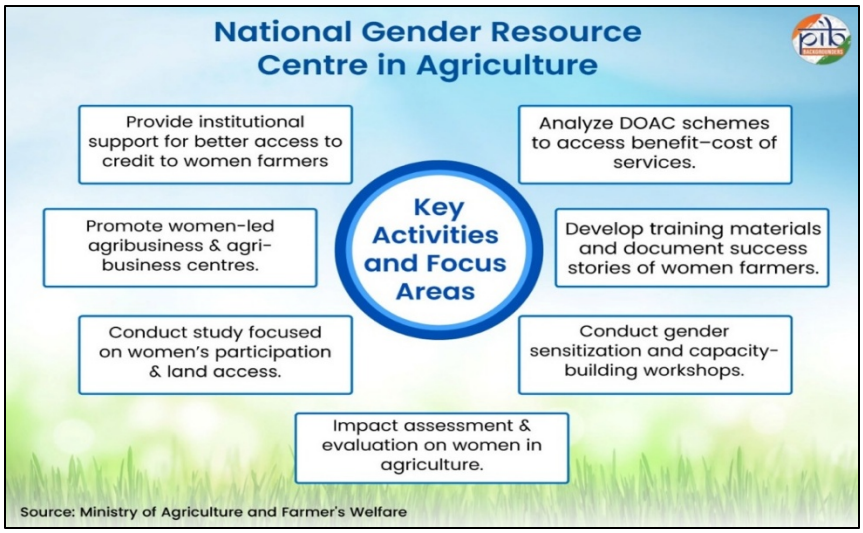

C. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR-केंद्रीय महिला कृषि संस्थान (CIWA), भुवनेश्वर:

ICAR-CIWA कृषि में महिलाओं पर अनुसंधान करता है ताकि कृषि में लिंग मुद्दों और दृष्टिकोणों की पहचान की जा सके। संस्थान महिला-अनुकूल प्रौद्योगिकियों, श्रम कम करने वाले उपकरणों, लिंग-संवेदनशील खेती प्रथाओं और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। इसने जलवायु-स्मार्ट पोषक-संवेदनशील कृषि प्रथाओं, प्राकृतिक खेती, गृहस्थ खेती प्रणालियों, मशरूम की खेती, वैज्ञानिक डेयरी प्रबंधन प्रथाओं, पिछवाड़े मुर्गी पालन तथा मूल्य संवर्धन पर मॉड्यूल विकसित किए हैं ताकि महिला-नेतृत्व वाली कृषि उद्यमिता का समर्थन हो।महिलाओं के कार्यभार को कम करने के लिए विभिन्न महिला-अनुकूल उपकरण और प्रौद्योगिकियाँ क्षेत्र-परिक्षित और पेश की गई हैं, जैसे पैडल-संचालित नारियल डिहस्कर, पावर-संचालित मूंगफली डिकॉर्टिकेटर-कम-स्ट्रिपर, मक्का डिहस्कर-कम-शेलर, रोटरी बकरी फीडिंग सिस्टम, घूमता दूध निकालने का मल, आसान कटाई बैग, उन्नत मैनुअल डिस्क रिड्जर, अफीम स्ट्रिपर, सिर के भार प्रबंधन का उपकरण, एप्रन-टाइप संग्रह बैग, उर्वरक ट्रॉली, बीज ड्रिल, सब्जी प्लकर आदि।इसके अतिरिक्त, संस्थान ने लिंग-संवेदनशील विस्तार मॉडल और पद्धतियाँ विकसित की हैं जैसे लिंग संवेदनशील एकीकृत गृहस्थ एक्वा-बागवानी मॉडल (GRIHA), सतत शे-प्रेन्योरशिप इन मशरूम कल्टीवेशन मॉडल (2S2M), जाननी न्यूट्री-गार्डन मॉडल, लिंग संवेदनशील कृषि-पोषक खेती प्रणाली मॉडल (GSAN), पशुधन

और मत्स्य प्रौद्योगिकियों के माध्यम से लिंग संवेदनशील सामुदायिक-आधारित कृषि उद्यमिता मॉडल (GCAM), किसानों की आय दोगुनी करने का लिंग संवेदनशील मॉडल, सतत पिछवाड़े मुर्गी पालन के लिए बहु-एजेंसी भागीदारीपूर्ण विस्तार मॉडल (MAPEM), लिंग संवेदनशील जलवायु-स्मार्ट कृषि फ्रेमवर्क आदि जो महिला किसानों की आजीविका, पोषण और आय को बढ़ाते हैं।

कामिनी नाथशर्मा की परिवर्तनकारी यात्रा: निर्वाह से स्थिरता तक

ओडिशा के कटक जिले के दुलारपुर गाँव की कृषि महिला श्रीमती कामिनी नाथशर्मा अपने पाँच सदस्यीय परिवार के साथ केवल 0.33 एकड़ खेती भूमि पर निर्भर थीं। आय मुख्य रूप से मौसमी चावल खेती पर निर्भर होने से वे और उनका पति आजीविका सुधारने के उपायों के लिए संघर्ष करते थे। ICAR-CIWA के भागीदारीपूर्ण अनुसंधान परियोजना के तहत कामिनी को प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट, सब्जी बीज और फल कलम प्राप्त हुए। उन्होंने अप्रयुक्त तालाब में बत्तख पालन और छोटे खपरैल शेड में मुर्गी पालन शुरू करने के लिए प्रारंभिक समर्थन प्राप्त किया। चूँकि घर में पहले से दो गायें थीं, हाइब्रिड नेपियर घास की शुरुआत घरेलू चारा आपूर्ति बढ़ाने के लिए की गई। परिणाम जल्द ही दिखाई दिए। परिवार अंडों, दूध और न्यूट्रीशन गार्डन में उगाई गई अतिरिक्त सब्जियों से आय अर्जित करने लगा। दूध उत्पादन बढ़ा, घरेलू पोषण सुधरा। प्रत्येक 1 रुपये के निवेश पर 1.75 रुपये की कमाई हुई, जिससे ICAR-CIWA के हस्तक्षेप से वार्षिक आय 96,000 रुपये पहुँची। कमिनी अपने गाँव में रोल मॉडल बन गईं, जो स्थानीय अन्य महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। एकीकृत खेती प्रणाली ने उन्हें और उनकी सास को उनके समय का उत्पादक उपयोग करने में सक्षम बनाया, जो दर्शाता है कि प्रशिक्षण और नवाचार कैसे ग्रामीण आजीविकाओं को सशक्त बना सकते हैं।

D. फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (FMTTIs):

मध्य प्रदेश के बुधनी, हरियाणा के हिसार, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और असम के बिस्वनाथ चरियाली में स्थित चार फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (FMTTIs) किसानों विशेष रूप से महिला किसानों, तकनीशियनों, स्नातक इंजीनियरों और उद्यमियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHCs) में प्रयुक्त मशीनों को संचालित करने के प्रशिक्षण से यंत्रीकरण तक व्यापक पहुँच, लिंग अंतर को कम करना और महिला किसानों को आधुनिक उपकरण अपनाकर उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम बनाना सुनिश्चित होता है।

विकास को पोषित करना: सामुदायिक-आधारित विस्तार और प्रशिक्षण पहल

हर घर तक प्रशिक्षण और ज्ञान पहुँचाने के लिए कृषि सखियों नामक महिला पैरा-विस्तार कार्यकर्ताओं का समर्पित कैडर विकसित किया गया है।

कृषि सखियों की भूमिका और महत्व

कृषि सखियाँ व्यावहारिक महिला किसान हैं जो प्राकृतिक खेती और मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन में सतत कृषि का समर्थन करने के लिए पैरा-विस्तार पेशेवर के रूप में प्रशिक्षित हैं। वे "किसानों की सहेलियाँ" के रूप में कार्य करती हैं, जो घर-द्वार पर मार्गदर्शन, ज्ञान और समर्थन प्रदान करती हैं। सामुदायिक-आधारित विस्तार को मजबूत करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चरणबद्ध तरीके से 70,000 कृषि सखियों का प्रशिक्षण संयुक्त रूप से आरंभ किया है।सामुदायिक-आधारित विस्तार को मजबूत करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चरणबद्ध तरीके से 70,000 कृषि सखियों का प्रशिक्षण संयुक्त रूप से आरंभ किया है।

प्रशिक्षण के बाद, कृषि सखियाँ SHGs, स्कूलों, आंगनवाड़ियों, ग्राम पंचायतों और ग्राम संगठनों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती हैं। उनकी भूमिका पर्यावरण-अनुकूल, आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि प्रथाओं के व्यापक अपनाने के लिए तरंग प्रभाव पैदा करना है। इससे मिट्टी स्वास्थ्य सुधार, उत्पादकता वृद्धि और कृषि घरों के लिए बेहतर आजीविका होती है। ग्रामीण महिला किसानों को विस्तार सेवाओं और सरकारी कार्यक्रमों से जोड़कर कृषि सखियाँ भागीदारी मजबूत करने, कौशल सुधारने और कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कृषि सखियाँ सामुदायिक-स्तरीय जागरूकता की नींव बनाती हैं, जिसे जिला-नेतृत्व वाली प्रशिक्षण पहलों से मजबूत किया जाता है–

A. महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP)

यह योजना DAY-NRLM ढांचे के तहत ग्रामीण महिलाओं के लिए राष्ट्रव्यापी कौशल विकास और क्षमता निर्माण समर्थन प्रदान करती है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से लागू। यह सामुदायिक संस्थाओं को मजबूत करके, सतत कृषि, उन्नत पशुपालन प्रबंधन तथा वैज्ञानिक गैर-लकड़ी वन उत्पादों (NTFPs) की खेती और संग्रह को बढ़ावा देकर महिला किसानों को सशक्त बनाती है।जून 2025 तक, मिशन ने 4.62 करोड़ महिला किसानों को एग्रो-इकोलॉजी प्रथाओं को अपनाने में समर्थन दिया, जिसमें 2.09 करोड़ को पशुपालन प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया।

3.50 लाख से अधिक सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का मजबूत नेटवर्क–कृषि सखियाँ (कृषि के लिए), पशु सखियाँ (पशुपालन प्रबंधन के लिए), वन सखियाँ (NTFP संग्रह और खेती के लिए), तथा मत्स्य

सखियाँ (मत्स्य हस्तक्षेपों के लिए)–क्षेत्र-स्तरीय मार्गदर्शन और ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।

B. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA)

ATMA जिला और ब्लॉक स्तरों पर लक्षित प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और प्रदर्शनों के माध्यम से कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ाती है। यह फार्म महिला खाद्य सुरक्षा समूहों (FSGs) का समर्थन करके महिलाओं की भागीदारी बढ़ाती है, जो "मॉडल खाद्य सुरक्षा हब" के रूप में कार्य करते हैं– रसोई बागवानी, पिछवाड़े मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम की खेती तथा डेयरी गतिविधियों के माध्यम से। प्रत्येक FSG को प्रशिक्षण, प्रकाशनों और आवश्यक इनपुट्स के लिए 25,000 रुपये मिलते हैं, प्रत्येक ब्लॉक में प्रति वर्ष कम से कम दो समूह गठित किए जाते हैं। ATMA के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या 2024-25 में 9.93 लाख से बढ़कर 2025-26 में 11.61 लाख (28 फरवरी 2026 तक) हो गई, जो लगभग 2.29% की वृद्धि दर्शाती है। 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 734 जिलों में लागू ATMA प्रशिक्षणों, प्रदर्शनों, एक्सपोजर विजिटों और किसान मेलों के माध्यम से विकेंद्रीकृत, किसान-केंद्रित विस्तार प्रणाली का समर्थन करती है।

C. ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण (STRY)

STRY कृषि और संबद्ध क्षेत्रों सहित बागवानी, डेयरी तथा मत्स्य पालन में ग्रामीण युवाओं और किसानों को सप्ताह-भर के लघु अवधि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। कार्यक्रम कौशल बढ़ाता है, उत्पादकता बढ़ाता है तथा स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से महिलाओं और युवा उद्यमियों पर ध्यान। कार्यक्रम ने 2021-2022 में 10,546 लाभार्थियों, 2022-2023 में 11,634 तथा 2023-2024 में 20,940 को प्रशिक्षित किया। दिसंबर 2024 तक, 2021 से 51,000 से अधिक ग्रामीण लाभार्थी, जिसमें महिला किसान शामिल हैं, प्रशिक्षित हो चुके हैं।

निष्कर्ष

कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाना उत्पादकता बढ़ाने, ग्रामीण आजीविकाओं को मजबूत करने तथा समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। लिंग-संवेदनशील योजनाएँ, कौशल विकास कार्यक्रम, महिला-अनुकूल प्रौद्योगिकियाँ तथा संस्थागत समर्थन जैसे लक्षित हस्तक्षेप श्रम कम करते हैं, आय बढ़ाते हैं तथा मूल्य श्रृंखलाओं में महिलाओं को नेता बनने में सक्षम बनाते हैं। AIF, PM-KISAN, ATMA, DAY-NRLM, नामो ड्रोन दीदी तथा कृषि सखी कार्यक्रम जैसी पहलें संसाधनों, प्रशिक्षण और आधुनिक खेती प्रथाओं तक महिलाओं की पहुँच बढ़ा रही हैं।महिला-नेतृत्व वाले FPOs का विकास और

KVKs तथा ICAR-CIWA के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रयास उत्पादकता बढ़ाने, आजीविकाओं को विविधीकृत करने तथा निर्णय-प्रक्रिया में अधिक सक्रिय संलग्नता को सक्षम बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष (IYWF 2026) के दृष्टिकोण के अनुरूप महिलाओं के कौशल, दृश्यता और नेतृत्व को बढ़ाना ग्रामीण आजीविकाओं और लचीलापन को मजबूत करेगा तथा राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा में पर्याप्त योगदान देगा।

संदर्भ

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

https://agriwelfare.gov.in/Documents/Revised_guidelinesATMA_2025.pdf
https://www.manage.gov.in/KrishiSakhi/images/Intro_About%20KSs.pdf
https://www.manage.gov.in/publications/eBooks/Em(powering) % 20% 20farm%20women%20% 20powering%20Agriculture.pdf
https://krishivistar.gov.in/Ngrca.aspx
https://icar.org.in/sites/default/files/inline-files/women-in-agriculture-12-13.pdf
Final_Revised_Gender_Perceptive.pdf
Rural_Women_Neelam_Tanu_article_03032022.pdf
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1489_xUhLLD.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/annex/267/AU3223_iWlEwp.pdf?source=pqars
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2742_Rf5v5f.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS340_Ms7Nka.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/annex/267/AU3223_iWlEwp.pdf?source=pqars
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1445_DO2c59.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/annex/267/AU3223_iWlEwp.pdf?source=pqars
https://sansad.in/getFile/annex/267/AU3223_iWlEwp.pdf?source=pqars
https://icar.org.in/sites/default/files/2025-12/GCWAS-2026%20Second%20Circular%202026.pdf
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149706
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2238318&reg=3&lang=2
https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2026015&utm_
https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1982792

नीति आयोग

https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022-03/Rural_Women_Neelam_Tanu_article_03032022.pdfs

पीआईबी बैकग्राउंडर्स

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=153805&utm
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2181702&reg=3&lang=2
https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155655&ModuleId=3
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/nov/doc2025114684101.pdf

पीआईबी रिसर्च

पीके/केसी/एमएम